

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 391/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रवि कुमार कुमावत पुत्र श्री घासी लाल कुमावत,
2. श्री घासी लाल कुमावत पुत्र श्री रूप राम कुमावत,
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री घासी लाल कुमावत,  
पता : कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम बोरारज, फुलेरा, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
4. श्री गोविन्द नारायण कुमावत पुत्र श्री सत्यनारायण कुमावत,  
निवासी : - प्लॉट नम्बर 23, नाडा वाली ढाणी, झाझडा रामपुरा, बोबस, बस्सी, जयपुर।
5. श्री किशन लाल कुमावत पुत्र श्री बोदूराम,  
निवासीगण:- प्लॉट नम्बर 73, घाडेला की ढाणी, गुढा बैरसल, वाया फुलेरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 25.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15-02-2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री घासी लाल कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 27 व 28, गणेश वाटिका, ग्राम बोरारज, अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल क्रमशः 97.22 वर्गगज व 97.22 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19-07-2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राथी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना आई दिल्ली 16 निसम्बर 2016 से संशोधी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अग्रलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथीगणों को 5,10,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिचूति जमानत के रूप में अप्राथीगण ने उपरोक्त कीर्णल सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राथी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकया ऋण राशि पर बसज कुल 10,39,928/- रुपये जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 19-07-2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकया ऋण राशि का चुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री धासी लाल कुमावत के स्वागित्व की सम्पत्ति फ्लॉट नम्बर 27 व 28, गणेश वाटिका, ग्राम बोरान, अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल क्रमशः 97.22 वर्गगज व 97.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (प्राणीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट गिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



7/ आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर